निवेश, उद्योग, नवाचार के लिए सरकार और उदार

एफडीआई नीति में बदलाव को मिली मंजूरी, अब जमीन गिरवी रख जुटा सकेंगे परियोजना के लिए कर्ज

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बड़े विदेशी और घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एफडीआई, विदेशी पूंजी निवेश और फॉर्च्यून ग्लोबल-500 व फॉर्च्यून इंडिया-500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 में दूसरे संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत निवेशक आवंटित औद्योगिक जमीन को परियोजना के लिए कर्ज लेने में कोलेटरल यानी गारंटी के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही, 3000 करोड़ रुपये या इससे अधिक निवेश वाली रणनीतिक अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का प्रावधान किया गया है।

संशोधित नीति के तहत औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के लिए चिह्नित जमीन पर अपफ्रंट लैंड सब्सिडी लेने वाली इकाइयों को मौजूदा बंधक व्यवस्था के विकल्प के रूप में सब्सिडी के बराबर अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी या राज्य सरकार की ओर से निर्धारित समतुल्य वित्तीय प्रतिभूति जमा करने की सुविधा मिलेगी। इससे निवेशक आवंटित जमीन को परियोजना के वित्तपोषण के लिए गिरवी रख सकेंगे।

281 करोड़ से नोएडा में बनेगा आईआईटी कानपुर का डीप टेक यू हब



लखनऊ। कैबिनेट ने नवाचार, अनुसंधान और अत्याधुनिक तकनीक आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू हब की स्थापना एवं भवन निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर कुल 281.03 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि परियोजना के तहत ईपीसी मोड में भवन निर्माण कराया जाएगा। निर्माण कार्य दो साल में पूरा करने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। शेष वित्तीय आवश्यकता के लिए वित्त विभाग से परामर्श के बाद चरणबद्ध बजटीय प्रावधान की स्वीकृति अलग से प्राप्त की जाएगी। डीप टेक यू हब को सेक्शन-8 कंपनी के रूप में पंजीकृत संस्था के तौर पर स्थापित किया जाएगा। ब्यूरो

औद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक-2020 वापस लेगी यूपी सरकार

लखनऊ। राज्य सरकार उप्र. औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक 2020 को केंद्र सरकार से वापस ले रही है। औद्योगिक संबंध संहिता-2020 के अनुरूप विधेयक का एक प्रावधान नहीं होने से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे वापस लेने की अपेक्षा की थी। कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्रमिकों के कल्याण और उद्योगों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए श्रम कानूनों में व्यापक बदलाव की प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार ने उप्र. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया था। विधानमंडल से पारित होने के बाद इस विधेयक को एक सितंबर 2020 को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया था। केंद्र सरकार ने पाया कि विधेयक की धारा 6(ज) में प्रस्तावित संशोधन औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अनुरूप नहीं है। इसलिए विधेयक वापस लेने की अपेक्षा की थी। ब्यूरो

■ **कैबिनेट करेगी अंतिम फैसला :** वहीं, 3000 करोड़ रुपये या इससे अधिक के निवेश वाली रणनीतिक अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं को जरूरत के आधार पर विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने पर प्राधिकृत समिति विचार कर सकेगी। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला कैबिनेट का होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में विदेशी निवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए यह नीति एक नवंबर 2023 को अधिसूचित की गई थी। अब दूसरे संशोधन के जरिये निवेशकों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने की प्रक्रिया आसान बनाने और बड़े निवेश प्रस्तावों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है।